**<u>न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।</u>**
सत्र परीक्षण संख्याः 691/2025
सरकार.....बनाम..... **राजेश चौहान**

मु०अ०सं० 108/2025
**धारा 352, 109 बी०एन०एस०**
<u>थानाः **मुबारकपुर**, आजमगढ़।</u>

<u>दिनांक –16.07.2025</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त **राजेश चौहान** जेल से उपस्थित आया। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोप के समर्थन में प्रस्तुत किये जाने वाले साक्ष्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

उभयपक्ष को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों के अवलोकन से अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा **352, 109 बी०एन०एस०** का आरोप बनता है।

अतः अभियुक्त के विरूद्ध उक्त धारा के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़ कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया एवं विचारण की याचना की। पत्रावली दिनाँक **03.09.2025** को साक्ष्य हेतु पेश हो। अभियोजन साक्षीगण जरिये सम्मन तलब हों।

**<u>दिनांक 16.07.2025</u>**

**(अजय कुमार शाही)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

Digitally signed by Ajay Kumar Shahi
Date: 2025.07.16 13:24:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

**न्यायालयः अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 01, आजमगढ़।**
सत्र परीक्षण संख्याः 691/2025
सरकार.....बनाम..... **राजेश चौहान**

मु०अ०सं० 108/2025
**धारा 352, 109 बी०एन०एस०**
थानाः **मुबारकपुर**, आजमगढ़।

**आरोप**

मैं, **अजय कुमार शाही**, **अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 01, आजमगढ़** आप अभियुक्त **राजेश चौहान** को निम्नलिखित आरोपों से आरोपित करता हूँः–

**प्रथम–** यह कि घटना का दिनांक 14.03.2025, समय 21.30 बजे, बहद स्थान ग्राम अबाडी कुटिया का पुरा, थाना मुबारकपुर, जनपद–आजमगढ़ में आप अभियुक्त ने ज्ञान व आशय के साथ वादिनी मुकदमा निशा चौहान के देवर पन्नालाल को जान से मारने की नियत से उसके गर्दन पर चाकू मार दिये। यदि आप द्वारा कारित कृत्य से वादी मुकदमा की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानववध के दोषी होते। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–109 बी०एन०एस०,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

**द्वितीय**– उपरोक्त दिनांक समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा को गाली–गुप्ता देकर लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो **धारा–352 बी०एन०एस०,** के अन्तर्गत दण्डनीय है तथा इस न्यायालय के संज्ञान में है।

एतद्द्वारा मैं आपको निर्देशित करता हूँ कि आपका परीक्षण उपरोक्त धाराओं में इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

**दिनांक 16.07.2025**

**(अजय कुमार शाही)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।

आरोप अभियुक्त को पढ़ कर सुनाया एवं समझाया गया व उससे पूछा गया कि वह जुर्म स्वीकार करना चाहता है या विचारण चाहता है? अभियुक्त ने आरोप से इनकार किया व परीक्षण की याचना किया।

**दिनांक 16.07.2025**

**(अजय कुमार शाही)**
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं० 1,
आजमगढ़।